उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2
संख्या- 104 /2020/1495 /92-2-2020-05 जांच/2019
लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-अम्बेडकर नगर के कार्यकाल में उ0प्र0 पंचायत राज (प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्यों को हटाये जाने संबंधी) नियमावली, 1997 के अनुसार ग्राम प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही की शक्ति का अधिकार राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट में निहित होने के क्रम में जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर, ब्लाक- रामनगर की ग्राम पंचायत- हुसैनपुर मुसलमान के ग्राम प्रधान के विरूद्ध उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-95 (1) (जी) के अन्तर्गत कार्यवाही के संबंध में जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के आदेश सं0-6079 दिनांक 14-03-2018 द्वारा जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अम्बेडकर नगर को पदेन जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश के उपरान्त लगभग 08 माह तक अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर के पद पर कार्यरत रहने के बावजूद भी श्री एस0के0गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर सम्प्रति प्रखण्ड- हरदोई द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण मD उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-7990(एम/एस)/2018 श्रीमती शम्स कमर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में विभाग को असहज स्थिति सामना करना पडा। इस प्रकार श्री एस0के0गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर सम्प्रति प्रखण्ड- हरदोई को उनके पदीय दायित्वों का निर्वहन न किये जाने हेतु शासन के स्पष्टीकरण संख्या-2853/92-2-19-05जांच/2019, दिनांक 11-12-2019 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

2- उक्त के क्रम में श्री एस0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता ने पत्रांक-3564/ग्रा0अ0वि0 /व्य0पत्रा0/2019- 20 दिनांक 20-03-2020 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया कि प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर में उनका कार्यकाल दिनांक 20-07-2018 से 27-01-2019 तक रहा है। तदोपरान्त 28-01-2019 से 09-05-2019 तक अवकाश पर रहे हैं। जांच संबंधी प्रकरण प्रखण्ड में तैनात आशुलिपिक श्री रामतेज द्वारा देखा जा रहा था। प्रखण्ड- अम्बेडकरनगर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त लम्बित प्रकरणों को प्रस्तुत किये जाने के आदेश सभी कर्मचारियों को लिखित एवं मौखिक रूप से दिये जाने के बाद भी श्री रामतेज, आशुलिपिक द्वारा उक्त प्रकरण को उनके संज्ञान में नहीं लाया गया, जिस कारण से उनके स्तर से प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकी। श्री एस0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता द्वारा श्री रामतेज,आशुलिपिक को लापरवाही युक्त गतिविधियों हेतु उनकी वित्तीय वर्ष 2018-19 की चरित्र-प्रविष्टि खराब लिखी गयी।

3- प्रश्नगत प्रकरण में श्री एस0के0 गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर सम्प्रति प्रखण्ड- हरदोई द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 20-03-2020 के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री गुप्ता द्वारा अपने 08 माह के कार्यकाल में जिलाधिकारी,अम्बेडकरनगर के आदेश दिनांक 14-03-2018 का अनुपालन नहीं किया गया, अतएव शासन के स्पष्टीकरण संख्या-2853/92-2-19-05जांच/2019, दिनांक 11-12-2019 द्वारा श्री एस0के0गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्प्रति प्रखण्ड- हरदोई से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत मांगे गये स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री गुप्ता को निम्नवत परिनिन्दा दण्ड देते हुए प्रकरण को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

''श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकर नगर सम्प्रति प्रखण्ड–हरदोई द्वारा जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर के आदेश दिनांक 14.03.2018 का 08 माह तक अनुपालन न करने के कृत्य के लिये श्री गुप्ता को परिनिन्दित किया जाता है। ''

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 104/2020/ 1495(1) /92-2-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
2- श्री एस0के0गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अम्बेडकरनगर सम्प्रति प्रखण्ड- हरदोई द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।